उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन)
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

संख्याः 3943 / यू.पी.रेरा / प्रशा. / 2025–26 **दिनांकः 08/04 / 2025**

कार्यालय–ज्ञाप

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में 'प्राप्ति एवं प्रेषण' शाखा में प्राप्त होने वाली डाकों में संज्ञानित हुआ है कि पत्रों की छायाप्रति / स्कैन प्रति कतिपय अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उ.प्र. रेरा में प्राप्त कराया जा रहा है। कतिपय प्रकरणों में व्हाट्सएप से निकाला गया अथवा ई–मेल का प्रिन्ट उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे प्रकरणों में प्राप्त कराये जा रहे डाक पर मूल हस्ताक्षर नहीं होते तथा उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति द्वारा कोई अधिकार पत्र आदि भी नहीं प्रस्तुत किया जाता। उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण का कार्य अर्द्धन्यायिक प्रकृति का है। उ.प्र. रेरा के पास मूल हस्ताक्षरित पत्र एवं उसके प्रेषक स्रोत न होने से अग्रतर कार्यवाही में विधिक समस्या उत्पन्न हो सकती है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल हस्ताक्षरित पत्र के अलावा छायाप्रति / स्कैन प्रति से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्ति एवं प्रेषण शाखा में दस्ती प्राप्त न किये जाए। यदि डाक द्वारा इस प्रकार के अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो लिफाफे एवं अभिलेख पर स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाये कि अभिलेख की छायाप्रति / स्कैन प्रति प्राप्त हुई है। अभिलेख पर हस्ताक्षर न होने की दशा में यह इंगित कर दिया जाये कि अभिलेख पर हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है।

इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा. अध्यक्ष, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अवलोकनार्थ कृपया।
2. संयुक्त सचिव / उपसचिव, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
3. सहायक निदेशक सिस्टम / सिस्टम एनालिस्ट, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
4. उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की प्राप्ति एवं प्रेषण शाखा में आबद्ध समस्त कार्मिकों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव